

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

विस्तृत विज्ञापन

क्रमांक: विज्ञापन सं. 08/भर्ती/2015-16

दिनांक : 16.02.2016

आयोग द्वारा कृषि विभाग के लिए राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिक वर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य के अनुसूचित/विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए सहायक कृषि अधिकारी (Assistant Agriculture Officer) के पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थाई। विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों की संख्या एवं उनमें आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार है :- (पदों में कमी/वृद्धि की जा सकती है।)

विशेष नोट :- इस विज्ञापन के तहत राजस्थान के टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थी ही आवेदन करें। अन्य क्षेत्र के अभ्यर्थी यदि आवेदन करते हैं तो वे अपात्र होंगे। आवेदित अभ्यर्थियों को टीएसपी क्षेत्र में निवासित होने का प्रमाण पत्र यथासमय आयोग कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अपात्र होंगे।

पदों की संख्या	सहायक कृषि अधिकारी (Assistant Agriculture Officer)																			
	सामान्य पद				अनुसूचित जाति वर्ग				अनुसूचित जनजाति वर्ग				पिछड़ा वर्ग			विशेष पिछड़ा वर्ग				
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	
टी.एस.पी.क्षेत्र 33 पद	13	4	1	0	1	0	0	0	10	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

दण्डवत् आरक्षण :- भूतपूर्व सैनिक - 04 पद एवं विशेष योग्यजन - B/LV-01 पद

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं -

- (i) B.Sc. (Agriculture) or B.Sc. (Horticulture) Honours of a University established by Law in India.
- (ii) Working knowledge of Hindi written in Devnagari Script and knowledge of Rajasthani Culture.

रनिंग पे-रैंपड रनिंग पे-रैंपड-2 (9300-34800) ग्रेड पे रू. 4200/-

आयु सीमा दिनांक 01.01.2017 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष से कम।

आयु सीमा में छूट के प्रावधान

क्र.सं.	अभ्यर्थियों का वर्ग	अधिकतम आयु में देय छूट (वर्षों में)
1.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के पुरुष	5
2.	राजस्थान की अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की महिला	10
3.	सामान्य वर्ग की महिला	5
4.	विधवा एवं विध्विन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला	अधिकतम आयु सीमा नहीं
5.	नि:शक्तजन	10
	पिछड़ा/विशेष पिछड़ा वर्ग	13
	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	15

नोट :- राजस्थान नि:शक्तजन व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण मागीदारी) नियम, 2011 के नियम 39 में प्रावधान इस प्रकार है - "Provided that in cases of exceptional hardship the State Government may further relax the age limit."

अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान

- भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर संस्थाई (सबर्टेटिव) रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।
- अन्य भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व अधिकायु का नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी।
- इस सेवा के किसी पद पर संस्थाई नियुक्त व्यक्ति यदि प्रारंभिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में ही समझा जायेगा चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे प्रारंभिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जायेंगे।
- रिजर्विस्टों अर्थात् रक्षा सेवा कर्मियों जिनको रिजर्व में स्थानांतरित किया गया था के लिए उपरोक्त उल्लिखित ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी।
- कैडेट इन्स्ट्रक्टर के मामले में उत्तम ही काल की छूट होगी जितनी सेवा उन्होंने एन.सी.सी. में की होगी बशर्त परिणामित आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी तो उन्हें निर्धारित आयु सीमा में ही समझा जायेगा।
- रिलीज्ड इमर्जेंसी कमीशण्ड ऑफिसर्स एवं शोर्ट सर्विस कमीशण्ड ऑफिसर्स सेना में कमीशन ग्रहण करते समय यदि इस पद के लिए इस प्रकार पात्र थे तो सेना से रिहा होने के बाद आयोग के समक्ष उपस्थिति के समय चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हों, पात्र समझे जायेंगे।
- राज्य, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/निगमों के कार्य कलापों के सम्बन्ध में संस्थाई रूप से सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
- भूतपूर्व सैनिकों के लिए ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी परन्तु सैन्य क्रॉस/वीर चक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारकों की दशा में उच्च आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिल करने योग्य होगी।

नोट -

- उपरोक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।
- ऊपरी आयु सीमा में छूट का लाभ शासन से प्राप्त पदों के वर्गीकरण (Category wise) के अनुसार ही देय होगा अर्थात् अगर किसी वर्ग (Category)के लिए कोई पद आरक्षित नहीं होगा तो उस वर्ग के अभ्यर्थी को ऊपरी आयु सीमा में तत्सम्बन्धी छूट का लाभ देय नहीं होगा।
- राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ. 7/6/कार्मिक/ए-II/2008 दिनांक-23.09.2008 के क्रम में जारी अधिसूचना के अनुसार "जिस भर्ती की वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई हो और यदि कोई अभ्यर्थी उस वर्ष की आयु की दृष्टि से पात्र था, तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जायेगा, किन्तु यह छूट तीन वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी।"

सहायक कृषि अधिकारी के पदों को आयोग द्वारा वर्ष 2010-11 में विज्ञापित किया गया था जिसके तहत आयु की गणना दिनांक 01.01.2012 को की गई थी। तत्पश्चात् इन पदों का कोई विज्ञापन आयोग द्वारा जारी नहीं किया गया था। अतः राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23-09-2008 के अनुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2017 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देय होगी।

अन्य विवरण

शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान	उक्त पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वह अपात्र होगा। स्पष्टीकरण- उक्त सुविधा का वे ही अभ्यर्थी उपभोग कर सकेंगे, जो आवेदक आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक पद की वांछित योग्यता की परीक्षा के अन्तिम वर्ष में प्रवेश ले चुके होंगे।
चयन प्रक्रिया	अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा। यदि विज्ञापन के आधार पर प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होगी तो आयोग संवीक्षा परीक्षा आयोजित कर अभ्यर्थियों की संख्या यथाचित सीमा तक कम कर सकता है। संवीक्षा परीक्षा अजमेर में आयोजित किए जाने की संभावना है। आयोग अपने स्वविवेक से परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन भी कर सकता है। संवीक्षा परीक्षा लिखी की घोषणा यथासमय कर दी जाएगी।
संवीक्षा परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम	यह संवीक्षा परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में (Online/Offline) ली जायेगी। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाईट पर शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा।
आवेदन अवधि	दिनांक 25-02-2016 से दिनांक 26-03-2016 रात्रि 12-00 बजे तक।


W

आवेदन प्रक्रिया	1. ई-मित्र केन्द्रों पर परीक्षा शुल्क जमा करने की अन्तिम दिनांक 24-03-2016 होगी एवं ऑन-लाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक 26-03-2016 होगी। 2. आयोग द्वारा परीक्षा शुल्क हेतु नेट बैंकिंग/ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा कराने की पूर्व में जारी नेट-बैंकिंग सुविधा के स्थान पर अब राज्य सरकार की ऑन-लाईन ई-ग्रास (Government Receipts Accounting System) से जमा कराई जायेगी। इसके अतिरिक्त ई-मित्र पोर्टल पर उपलब्ध नेट बैंकिंग सुविधा से भी परीक्षा शुल्क जमा कराया जा सकता है। 3. अम्पर्थियों को उक्त परीक्षा शुल्क जमा करने की सुविधाओं में किसी भी प्रकार का शुल्क रिफण्ड नहीं किया जायेगा।
आवेदन पत्र में ऑनलाईन संशोधन	ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन दिनांक 24-03-2016 से दिनांक 26-04-2016 रात्रि 12-00 बजे तक।

("आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के निर्देशों एवं सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार परिवर्तनीय होगी, तदनुसार भर्ती/परीक्षा आयोजित की जावेगी जिसके लिए यथासमय सूचित कर दिया जावेगा।")

विशेष सूचना :- "यदि कोई अम्पर्थी अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् 30 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क देकर Online/Offline संशोधन कर/करवा सकता है। आवेदन पत्र में संशोधन एवं विकलांग/विधवा के वर्ग में संशोधन के संबंध में आयोग की वेब-साइट पर उपलब्ध Instruction for Applicants में अम्पर्थियों के लिए आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश के तहत आवेदन प्रक्रिया संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश के बिन्दु संख्या 7 'ऑन लाईन आवेदन संशोधन की प्रक्रिया' एवं 'Guidelines for Edit Application' का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें एवं उक्त निर्देशों में अंकित अंतिम दिनांक तक ही त्रुटि संशोधन स्वीकार्य होंगे इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अम्पर्थी का ही होगा।"


अन्य बिन्दु व सूचना :- परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए आयोग द्वारा आयोग की वेबसाइट पर जारी परीक्षार्थियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश तथा सम्बन्धित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। इसके अतिरिक्त समय-समय पर जारी इस परीक्षा से संबंधित सूचनाओं को आयोग की वेबसाइट <http://www.rpsc.rajasthan.gov.in> या <http://rpsconline.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं.- 0146-6151212 एवं 6151200 पर सम्पर्क किया जा सकता है। सन्दर्भ पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।


(भगवत सिंह राठौड़)
सचिव

क्रमांक : विज्ञापन सं. 08/भर्ती/2015-16/292

दिनांक : 16.02.2016

प्रतिलिपि :- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर को आयोग का विस्तृत विज्ञापन संख्या - 08/भर्ती/2015-16 राजस्थान रोजगार सन्देश, जयपुर को नवीनतम संस्करण में केवल एक बार प्रकाशित कराने हेतु भेजा जाता है।


सहायक सचिव